न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

पंचायत रिव्यू प्रार्थनापत्र सं. : 02/2017

प्रार्थीया

कौशाल्या देवी पत्नी श्री सत्यनारायण टावरी, जाति माहेश्वरी निवासी– नाथडाऊ, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी

1. श्रीराम टावरी पुत्र स्व0 श्री जवाहरमलजी टावरी जाति माहेश्वरी, निवासी माताजी मंदिर रोड़ माहेश्वरी न्याति नोहरा के पास (रामद्वारा के पास, औसियां तहसील औसियां, जिला जोधपुर)
2. ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाथडाऊ, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
3. सचिव पदेन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।

रिव्यू प्रार्थनापत्र अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.09.2015, न्यायालय श्री अपर जिला कलक्टर (प्रार्थना) जोधपुर पीठासीन अधिकारी श्री अरुणकुमार हसीजा आर0ए0एस बमुकदमे पंचायत निगरानी संख्या 12/2013 अनवान श्रीराम टावरी बनाम कौशल्या देवी, पट्टा क्रमांक 2062 दिनांक 05.09.2010 बुक न0 42 मिसल संख्या 81 के जरिये आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 09.12.2010 को कौशल्या देवी के नाम से जारी किया है, के विरुद्ध की गई निगरानी में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 में रिव्यू प्रार्थना पत्र ।

उपस्थिति :

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बी0एस0 सोलंकी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री ओ0पी0 राठी ।

–: आदेश :–

दिनांक : 22.01.2018

प्रार्थीया के अभिभाषक ने यह पंचायती रिव्यू प्रार्थनापत्र रिव्यू प्रार्थनापत्र अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.09.2015, न्यायालय श्री अपर जिला कलक्टर (प्रार्थना) जोधपुर पीठासीन अधिकारी श्री अरुणकुमार हसीजा आर0ए0एस बमुकदमे पंचायत निगरानी संख्या 12/2013 अनवान श्रीराम टावरी बनाम कौशल्या देवी, पट्टा क्रमांक 2062 दिनांक 05.09.2010 बुक न0 42 मिसल संख्या 81 के जरिये आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 09.12.2010 को कौशल्या देवी के नाम से जारी किया है, के विरुद्ध की गई निगरानी में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया का कब्जासुदा एवं पट्टासुदा जायदाद आबादी क्षेत्र ग्राम नाथडाऊ, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में पट्टासुद प्लोट आया हुआ है का पट्टा ग्राम पंचायत कोर्ट नाथडाऊ पंचायत समिति बालेसर के मिसल

संख्या 81 दिनांक 05.09.2010 संकल्प संख्या 5 के द्वारा दिनांक 09.12. 2010 को नाप 659.95 वर्गगज का जारी किया गया जो ग्राम पंचायत ने मौके की जांच करने के पश्चात जारी किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा आबादी क्षेत्र ग्राम नाथडाऊ में जारी किया गया वो पुराने गृहों का विनियमितिकरण यानि की आबादी भूमि में पुराने गृह के आधार पर पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) प्रारुप 23–क व राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधिन जारी किया गया । लेकिन माननीय न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण नियमों की अनदेखी करते हुए एक तरफा निर्णय पारित किया गया है जो रिव्यू होने के योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया की कब्जासुदा रहवासी प्लॉट जिसको पुश्तेनी बताकर निगरानीधिन निर्णय पारित किया है जबकि प्रार्थीया ने अपने पिता के जीवन काल में इसे जायदाद प्लॉट को लेकर ग्राम कोर्ट नाथडाऊ में पट्टा हेतु आवेदन किया और ग्राम पंचायत ने सारी औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात विधी के विधान अनुसार पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित जायदाद न तो पुशतैनी रही न ही पुशतैनी बाबत अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह साबित हो सके कि वह अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा है।

ग्राम पंचायत ने जो प्लॉटों के पट्टे जारी किये वह राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (1) व स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के तहत जारी किये लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 158 के विपरित जारी किया जाना बताया गया है। जबकि प्रार्थीया के नाम पट्टा नियम 158 के तहत पट्टा जारी नहीं किया गया।

प्रार्थीया ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया कि प्रार्थीया के पति कैम्प कोर्ट में हाजिर हुए थे उसके बाद प्रार्थीया व उसका पति अपने अधिवक्ता पर निर्भर रहा लेकिन अधिवक्ता द्वारा निगरानियों के बाबत् कोई जानकारी नहीं ली हाल ही में दिनांक 10.04.2017 को प्रार्थीया व उसका पति जोधपुर आकर अपने अधिवक्ता से जानकारी चाही तो प्रार्थीया को जानकारी में आया कि विचाराधिन निगरानी का निर्णय दिनांक 10.09.2015 को किया जा चूका है जिसपर नकल आवेदन कर निर्णय की नकल प्राप्त 11.04.2017 को होने पर जानकारी हासिल कर जानकारी के अंदर मियाद रिव्यू पेश कर दी है। जिससे गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने लिखित में जवाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निगरानी का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 गुणावगुण पर एवं प्रकरण के प्रत्येक बिन्दु पर अपनी टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण देते हुए तथा उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई थी जिसमें प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर अपने पक्ष को रखा था तत्पश्चात् उभय पक्ष के तर्कों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी से संबंधित कोई संतोषप्रद कारण अपने प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं किया इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीया द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थनापत्र देरी से प्रस्तुत करने के जो तथ्य बतलाये गये है वह संतोषजनक नहीं है केवल मात्र न्यायालय को गुमराह करने के तथ्य लिखे गये है।

हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पंचायती रिव्यू प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया एवं इस न्यायायल द्वारा पूर्व में निर्णित पंचायत निगरानी संख्या 12/2013 श्रीराम टावरी बनाम श्रीमती कौशल्या वगैरह निर्णय दिनांक 18.

09.2015 का भी अवलोकन किया एवं रिव्यू प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का भी अवलोकन किया । इस प्रार्थनापत्र में प्रार्थीया ने यह कथन किया कि प्रार्थीया व उसके पति अपने अधिवक्ता पर निर्भर रहा लेकिन इस न्यायालय द्वारा निर्णित पंचायत निगरानी 12/2013 अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित नहीं आये उनको बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद व उपस्थित नहीं आये और न्यायालय द्वारा पारित पंचायत निगरानी 12/2013 निर्णय दिनांक 18.09.2015 में हम किसी प्रकार के कोई त्रुटि नहीं पाते है और प्रार्थीया ने यह रिव्यू प्रार्थनापत्र दिनांक 05.05.2017 को पेश किया जबकि न्यायालय द्वारा निर्णय 18.09.2015 को ही कर दिया गया था। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब होने के कारण बताये वह विश्वास योग्य नहीं है।अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर